न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश,ग्वालियर

निगरानी प्र0क्र0 /   /पी.बी.आर. /2017

P 1153-PBR-17

श्री जरनेल सिंह वल्द श्री दशरथ सिंह,
उम्र लगभग 51 वर्ष
कृषक एवं निवासी–ग्रा.खरबई
तहसील–व जिला रायसेन   ––निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती नीरा तिवारी पत्नि श्री सुनील तिवारी
उम्र वयस्क **कृषक** ग्रा. खरवई तह0 व जि0रायसेन
निवासी–20, एम.आई.जी.सेक्टर–बी, सोनागिरी,भोपाल   ––रेस्पांडेंट

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता न्यायालय तहसीलदार तहसील रायसेन जिला रायसेन के **प्र0क्र0**/1/अ–70/2016–17 में पारित **आदेश** दिनांक 01.04.2017 (जो कि राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण कमांक 15/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 एवं पंचनामा दि–11.05.2016 से उद्भूत है) से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में माननीय न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1153–पीबीआर/17 **जिला रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक अधिवक्ता श्री डी0डी0मेघानी उपस्थित । उनके द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि मण्डल द्वारा उनके समक्ष सीमांकन प्रकरण में अंतिम आदेश पारित हो चुका है । अतः अब इस निगरानी को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है, यह निगरानी निरर्थक हो गई है । आवेदक के निवेदन पर निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	